(T2)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, जगदलपुर

(पीठासीन अधिकारी – अध्यक्ष– पीयूष राम साहू
सदस्य– चित्रा खत्री)

प्रकरण क्रमांकः– 20 / 2026
संस्थित दिनांकः– 18.06.2026

श्री हरेन्द्र कुमार दास,
पिता स्व0 श्री विश्वनाथ दास,
नया HB कॉलोनी MIG, LIG-08,
धरमपुरा जगदलपुर (494–005)
बी0पी0क्र0 1004275148
मो0नं0 8871296239

परिवादी / आवेदक

विरूद्ध

कार्यपालन अभियंता (शहर) संभाग,
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड,
जगदलपुर (छ.ग.)

उत्तरवादी / अनावेदक

आदेश

(आज दिनांक 06.08.2026 को पारित)

परिवादी द्वारा विद्युत बिल अधिक आने एवं जिसका भुगतान करने में परेशानी होने के कारण तथा उक्त विद्युत कनेक्शन मीटर में तकनीकी खराबी होने संबंधी आशंका जताते हुए शिकायत प्रस्तुत किया गया है।

2. मामले में उभय पक्षों के मध्य निम्नालिखित तथ्यों पर विवाद नहीं हैः– 1. परिवादी नया HB कॉलोनी MIG, LIG-08, धरमपुरा जगदलपुर (494–005) में निवासरत् है जिसका विद्युत कनेक्शन बी0पी0क्र0 1004275148 है।

3. स्वीकृत तथ्यों के अलावा परिवाद / शिकायत संक्षेप में इस प्रकार है कि :– परिवादी द्वारा अधिक बिल आने की शिकायत एवं मीटर खराब होने का संदेह के आधार पर शिकायत प्रस्तुत किया गया।

4. प्रस्तुत शिकायत का जो उत्तर उत्तरवादी / अनावेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया है वह स्वीकृत तथ्यों के अलावा संक्षेप में इस प्रकार है कि :– परिवादी के परिसर में स्थित विद्युत कनेक्शन के माह जनवरी 2026 से प्रतिदिन का खपत विवरण का परीक्षण किया गया। परिवादी द्वारा 15 अप्रैल 2026 से 17 जून 2026 तक अत्याधिक गर्मी के दिनों में प्रतिदिन 10 से 25 यूनिट तक खपत किया गया। जो कि, सामान्य दिनों के खपत से अधिक है। इसी अवधि के दौरान माह अप्रैल 2026 एवं मई 2026 का देयक जारी किया गया, जो उपभोक्ता के विद्युत खपत के अनुसार है। उक्त अवधि के पश्चात उपभोक्ता के विद्युत खपत में मौसम परिवर्तन अनुसार कमी पाई गई है।

5. मामले के समुचित निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न निर्मित किये जाते है :— क्या परिवादी अपने पिरसर में स्थापित विद्युत कनेक्शन बी0पी0क्र0 1004275148 से संबंधित माह अप्रैल '2026' एवं मई '2026' के विद्युत सुधार करवाये जाने का हकदार है।

विवेचना एवं निष्कर्ष

6. परिवादी द्वारा माह अप्रैल'2026 एवं मई'2026 में अधिक बिजली बिल के लिए विद्युत मीटर में खराबी की आशंका जताई गई थी। उत्तरवादी द्वारा उक्त माह अप्रैल'2026 एवं मई'2026 में जारी विद्युत देयकों का अधिक आने का कारणों को उल्लेखि कर शंका का समाधान कर दिया गया है उत्तरवादी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को परिवादी द्वारा स्वीकार कर लिया गया है प्रस्तुत तथ्य स्वीकर योग्य है।

मैं उक्त विचारणीय प्रश्न का निष्कर्ष देता हूँ कि परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायत निरस्त किया जाता है।

7. यदि परिवादी/आवेदक इस आदेश से संतुष्ट न हो तो वह इस आदेश दिनांक से 45 दिवस के भीतर माननीय विद्युत लोकपाल छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग परिसर, सिंचाई कॉलोनी शांति नगर रायपुर (छ0ग0) में अपील कर सकता है।

आदेश मेरे द्वारा बोलकर टंकित कराया गया

आदेश पारित किया गया

(पीयूष राम साहू) 6/8/26
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता परिवेदना (शिकायत)
निवारण फोरम, जगदलपुर

06/08/2026
(चित्रा खत्री)
सदस्य
विद्युत उपभोक्ता परिवेदना (शिकायत)
निवारण फोरम, जगदलपुर

(पीयूष राम साहू) 6/8/26
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता परिवेदना (शिकायत)
निवारण फोरम, जगदलपुर